यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

ना–पत्र संख्या :–209 / 2020 दायर दिनांक 04.12.2020

MS NO:- 2020/00394

सीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

रामलाल पुत्र हरदेव जाति मीणा निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. रामचरण पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. किशनगोपी पुत्र हरदेव जाति मीणा निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. प्रभूलाल पुत्र हरदेव जाति मीणा निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रतनी बाई पुत्री हरदेव हाल पत्नि रामदेव जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. जानकी पुत्री हरदेव हाल पत्नि जाति मीणा निवासी कंकावदा तहसील इटावा जिला कोटा।
6. शंकर पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. राजेश पुत्री छोटूलाल हाल पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी सावतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. सोहनी पुत्री छोटूलाल हाल पत्नि शंकरलाल जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. सुमित्रा पुत्री छोटूलाल हाल पत्नि राजेश जाति मीणा निवासी कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. सोना पुत्री छोटूलाल हाल पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी बूढ करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. चौथमल पुत्र भागोता जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. रामबिलास पुत्र सुवालाल जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. रामगोपाल पुत्र सुवालाल जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. बिठल पुत्र सुवालाल जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
15. रमेश पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
16. रामसहाय पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
17. रामप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
18. छोटा पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
19. चतरा पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
20. मदन पुत्र मथरा जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
21. राजू पुत्र मथरा जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
22. रामू पुत्र मथरा जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
23. मोरपाल पुत्र मथरा जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
24. बद्री पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

25. जनकी पुत्री हजारीलाल हाल पत्नि बद्री जाति मीणा निवासी पीपरवाला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
26. मसरी पुत्री हजारीलाल हाल पत्नि भोजा जाति मीणा निवासी बड़ाखेड़ा तहसील केशवपाटन जिला बून्दी।
27. मेवा पुत्री हजारीलाल हाल पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी बड़ाखेड़ा तहसील केशवपाटन जिला बून्दी।
28. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

—अप्रार्थीगण—

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 38 के खसरा संख्या 94/09–09, 118/00–04, 189/00–02, 230/00–18, 240/01–17, 257/00–16, 398/11–03, 405/12–12, 546/11–03, 697/05–01, 708/06–11, 752/05–11, 762/05–07तथा 874/07–15 कुल किता 14 कुल रकबा 78 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 230 की भूमि में से प्रार्थी के हिस्से की भूमि 1/2 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता जरखोदा से फतेहगंज जाने वाले रोड से फटकर खसरा संख्या 230 में प्रत्यार्थी संख्या 1 रामचरण के हिस्से की भूमि में होता हुआ प्रार्थी के हिस्से की भूमि में पहुचता है जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थी संख्या 1 के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थी संख्या 1 ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता का नहीं है। पूर्व में प्रार्थी ख0 सं0 230 के सहखातेदार रामचरण के हिस्से में आई भूमि में से होकर गुजरता था लेकिन वर्तमान में रामचरण द्वारा मकान बाडा बनाकर मौके पर बना हुआ रास्ता बन्द कर दिया है। प्रार्थी का उक्त भूमि ख0 सं0 230 में मकान भी बना हुआ है। जिसके अनुसार खसरा संख्या 230 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 229 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 229 में से रकबा 16 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 32 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0.0137 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट जरखोदा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 38 के खसरा संख्या 230 रकबा 18 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...र खसरा संख्या 229 में से रकबा 16 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 32 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0.0137 है0 भूमि ...ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है जिसे प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में ...ल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner